भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1228
दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्रांडेड दवाओं की कीमतें

1228. श्री राजकुमार रोतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में बाजार में ब्रांडेड दवाएं उनकी विनिर्माण लागत से दस, बीस और तीस गुना अधिक कीमतों पर बेची जा रही हैं और चिकित्सक भी यही दवाएं लिख रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई नीति लागू करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करेगी कि दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य लाभ अंतर के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक न हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियामक कानून लाने का विचार कर रही है कि प्रत्येक दवा पर थोक इकाई मूल्य और एमआरपी दोनों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान किन-किन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है और सरकार द्वारा ऐसी दवाओं को बेचने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): औषधियों की कीमतें राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं की उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और साथ ही उद्योग के विकास को सहयोग प्रदान करने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। यह केवल फॉर्मूलेशनों के लिए आवश्यकता और बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इसलिए, कंपनियों के लागत डेटा विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, औषध विभाग (डीओपी) के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1, राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एनएलईएम) पर आधारित है, में विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य और डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 2(1)(प) में यथा

परिभाषित नई औषधियों के खुदरा मूल्य निर्धारित करके दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। किसी औषधि का अधिकतम मूल्य और खुदरा मूल्य बाजार डेटाबेस में उस औषधि की 1% या उससे अधिक की बाजार हिस्सेदारी रखने वाले सभी ब्रांडों के खुदरा विक्रेता के मूल्य (पीटीआर) के औसत में 16% मार्जिन जोड़कर निर्धारित किया जाता है। गैर-अनुसूचित फॉर्मुलेशनों के मामले में, विनिर्माताओं को इनके अधिकतम खुदरा मूल्य में पिछले 12 महीनों के दौरान एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं है। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों प्रकार के फॉर्मूलेशनों की कीमतों की निगरानी की जाती है और उपभोक्ताओं से अधिप्रभारन करने या डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, वर्तमान नीतिगत ढांचे के अनुसार, आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर मार्जिन विनियमित नहीं है और व्यावसायिक प्रणालियों का हिस्सा है, तथा यह वाणिज्यिक कारणों से निर्देशित होता है।

भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002 के खंड 1.5 में प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नामों वाली औषधियों स्पष्ट रूप से और अधिमानतः बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगी कि औषधि का नुस्खा और उपयोग तर्कसंगत हो। पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने परिपत्र जारी किए थे जिनके द्वारा सभी पंजीकृत चिकित्सकों को उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों को केवल जेनेरिक दवाएं प्रेस्क्राइब करने का निर्देश दिया है। औषधियों को जेनेरिक नाम के साथ स्पष्ट रूप से प्रेस्क्राइब करने के लिए इसी तरह के निर्देश केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के सभी डॉक्टरों और कल्याण केंद्रों को जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों या आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को उपरोक्त विनियमों के प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को जेनेरिक औषधियों के प्रिस्क्रिप्शन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित रूप से प्रिस्क्रिप्शन की जांच करने की सलाह दी गई है।

(घ): डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, किसी भी फॉर्मूलेशन, चाहे वह अनुसूचित हो या गैर-अनुसूचित, के प्रत्येक विनिर्माता को उस फॉर्मूलेशन के कंटेनर के लेबल पर और खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए उसके न्यूनतम पैक पर उस फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) अमिट मुद्रित चिह्न में प्रदर्शित करना आवश्यक है।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अब तक केंद्र सरकार ने मानव उपयोग के लिए 603 औषधियों और निश्चित खुराक संयोजनों तथा पशुओं के उपयोग के लिए 40 औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रतिबंधित औषधियों और पशु चिकित्सा औषधियों की सूची केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट www.cdsco.gov.in पर उपलब्ध है।

देश में प्रतिबंधित औषधियों का विनिर्माण, बिक्री और वितरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दंडनीय अपराध है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) ऐसे अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री से संबंधित कोई भी शिकायत/समस्या सीडीएससीओ को प्राप्त होने पर, आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को राज्य औषधि नियंत्रक के समक्ष उठाया जाता है।
